

14-10-25 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिकता उपस्थित,
उभयपक्षों की बहस सुनी गयी, वास्ते पत्रावली
आदेश हेतु नियत फिक्क 31-10-25 को पेश है।

31-10-25 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिकता उपस्थित,
वकील प्राथियों का प्रा-पत्र व्यायहित में स्वीकार
किया जाता है। परन्तु अगर प्रचलित / कट्टी रास्ता
चाहू / चल रहा है तो पत्थरगद्दी के हौरान उसे बेद/
बाधित नहीं किया जावे। निर्णय पृथक से लिखा जाकर
शाह पठ किया गया। पत्रावली फल्ल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला सीलवाड़ा